न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

प्रकरण संख्या 69 / 2025 (GCMS: 2025/343)
(RTI No. : 212998515897975)

मनोहर लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी गांव 5 केएसडी ... सुखचैनपुरा, तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 97728-16949)

<u>बनाम</u>

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मनोहर लाल आज स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मनोहर लाल ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 10.07.2025 से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. RCP अवधि में जारी किए गए पट्टा बुक की प्रमाणित प्रति जुलाई 1976 से जून 1980
2. उक्त अवधि की ग्राम सभा रजिस्टर की प्रति।
3. उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक की प्रमाणित प्रति।
4. उक्त अवधि में जिला परिषद् और पंचायत समिति के अधिकारिक कर्मचारियों के द्वारा की गई निरीक्षण की अनुपालना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, निरीक्षण दिनांक सहित
5. 01.01.2020 से 10 जुलाई 2025 उक्त अवधि में जारी किए गए पट्टा बुक की प्रमाणित प्रतिलिपि

ए. साथ ही सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सूचना उपलब्ध करवाते समय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(8)(iii) एवं 7(3)(ii) के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी का नाम, पद व पता आवश्य बताये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 69 / 2025
(GCMS: 2025/343)
(RTI No. 212998515897975)

बी. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(8) के अनुसार मेरे आवेदन की अस्वीकृति के मामले में अस्वीकृति का कारण बताते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत अस्वीकार किया गया, अवश्य बताइये।

सी. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुसार अनुरोध है कि जो सूचना चाही गई वो ही उपलब्ध करवाये।

डी. राज्य सूचना आयोग के पूर्व नियमों के अनुसार चाही गयी समस्त सूचना आप के कार्यालय के सरकारी दस्तावेज है, जिन्हें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत सूचना प्रदान करने से छूट प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अ. / 2025 / 651 दिनांक 14.10.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 212692194482776 दिनांक 10.07.25 के क्रम में वांछित सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर कार्यालय से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / आरटीआई / 2025 / 451–452 दिनांक 18.07.2025 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर को हस्तान्तरित कर प्रार्थी को सूचित किया गया था। उक्त प्रकरण में आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत मोहकमवाला से रिकॉर्ड / प्रमाणित दस्तावेज की सूचना चाही गई थी, जिसके क्रम में कार्यालय ग्राम पंचायत मोहकमवाला द्वारा पत्र क्रमांक 159 दिनांक 28.08.2025 द्वारा आवेदक को सूचित किया जा चुका है। (प्रति संलग्न है।) आवेदक के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 212695194482776 दिनांक 10.07.2025 के क्रम में इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रतिवेदन मय संलग्नक प्रेषित कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का श्र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:43 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर से होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दिया था और अपीलार्थी को सूचित भी किया गया था। **सूचना का अधिकार** अधिनियम 2005 **के प्रावधानों के तहत** विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर द्वारा सूचनाओं **के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

आरटीआई प्रकरण संख्या 69 / 2025
(GCMS: 2025/343)
(RTI No. 212998515897975)

अपील अधिकारी के **रूप** में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो उनके सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज़ की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:43 IST
Reason: SelfAttested